

298

406

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

R 2973-टीका/13

पुनरीक्षण आवेदन क्र०/

/013



C.F.-20/-

पत्रकारों एवं अधिपत्रकारों
आदि के हस्ताक्षर

प्रतिवेदन समा
करने हेतु संब
पटवारियों को
करने हेतु आ
गया
संधारित है।
संधारित है।
य सील नहीं पाई गई है
द्वारा प्राप्त किया गया
म, पदनाम व सील अकि
संधारित है।
35/-
रण अ-79
रही है।

राज्य तनय स्व० बुद्धराम ब्रा० निवासी ग्रामलोहद्वार, तहसील रायपुर
जिला रीवा, मप्र०. सुधार क्रिया दिनांक 22/8/17 के फलस्वरूप
विरुद्ध, ----- आवेदक

- 01- बृहस्पति प्रसाद
 - 02- बानकी प्रसाद
 - 03- लक्ष्मण प्रसाद तीनोपुत्रगण स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०
 - 04- विश्वनाथ प्रसाद मृत के वारिसा-
 - क- सीता तिवारीपत्नी विश्वनाथ प्रसाद ब्रा०
 - ख- पूजा पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद
 - ग- रश्मी पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद
 - घ- प्राची पुत्री स्व० विश्वनाथ प्रसाद
 - ड.- प्रभुनाथ उर्फ लाला तनय स्व० विश्वनाथ प्रसाद
- ~~विरुद्ध~~ अवयस्क द्वारा वली संरक्षिका माँ सीता तिवारी पत्नी
विश्वनाथ प्रसाद ब्रा०
- 05- प्रदुम्नाथ तनय स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०
 - 06- राशिराम तनय स्व० सुदामा प्रसाद ब्रा०
- सभी निवासी ग्राम लोहद्वार तह० रायपुर क्यू० जिला रीवा, मप्र०.

----- अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मप्र० भू० रा०
त० 1959 विरुद्ध आदेश अमर कलेक्टर रीवा दिनांक
04.06.013 जो राजस्व निगरानी प्र० क्र० 0199/अ-74/

M

Handwritten signature

368
म-7-13

दिनांक 22/8/18 के अधिसूचना भावेदके खान पर
उनके विधिके कारिशात निम्नदि बिहेपसकारके खय लनेतकित्तिकापसके

- 1- (अ) नयकुमार तनय स्व. रामनारा नि. ग्रामलोहरना तहसील शयपुरके पुत्र नि.
- 1- (ब) तेदवती पुत्री स्व. रामनारा - नि. लखमपुर तहसील इलाहाबाद जिला के
- 1- (ग) लीलावती पुत्री स्व. रामनारा नि. मेमराठ नि. गोर टीवा
- 1- (द) प्रेमवती योद्धय पुत्री स्व. रामनारा नि. ग्राम महिगावा तहसील सिमर टीवा
- 1- (इ) सुनीता दिवेदी पुत्री स्व. रामनारा नि. ग्राम लांजी तहसील मुठ टीवा
- 1- (फ) शकुन्तला योद्धय पुत्री रामनारा नि. कैठरी तहसील मेमराठ टीवा

इसमानके मन्सापालके अधिसूचना का ध्यान रखिए।
26/2/18

M


22/1/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2973-III/13

जिला-रीवा

रामचरण ब्रा0/बृहस्पति प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 199/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	